

प्रैरक

जिला विधालय निरीक्षक
औरेया

संख्या : १

ग्रन्थालय

जन सहयोगी उपटर बालेज
दूधारा-गो-ओरेया ।

प्रकाक /माझी०गो००००/ ५७०-०६ / २०१६-१७ दिनांक ३१/११-

विषय ३०२० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड इलाहाबाद द्वारा विद्यालय सं० २/२०१३ प्रकल्प के प्रति निर्मित १९९८ के नियम-१२ उपनियम(१०) तथा (१०) के अधीन निर्मित प्रकल्प हिन्दी वर्ग-०१ व २ के लिए घोषित अन्याई श्री सतीष कुमार पुत्र श्री लालजी सिंह जो नियुक्त प्रति विधिक कार्यकारी उपराज्यकारी बनाया जाने के सम्बन्ध में :

उपर्युक्त विषय ३०२० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड द्वारा प्रकाक /माझी०गो००००/विद्यालय सं० २/२०१३/०८०००० / दद्यन -पैनल/४२०६-७६ / २०१६-१७ दिनांक ३०-१२-२०१६ पर संवादपत्र प्रकाक/४८८७/२०१६-१२ दिनांक ०९-०२-२०१७ द्वारा विद्यालय सं० ६२/२०१३ प्रकल्प पदों के प्रति उपर्युक्त माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड नियमाला० १९९८ के नियम-१२ उपनियम(१०)तथा(१०) के अधीन निर्मित प्रकल्प हिन्दी वर्ग-१ व २ के लिए घोषित अन्याई श्री सतीष कुमार पुत्र श्री लालजी सिंह जो नियुक्त प्रति विधिक कार्यकारी उपराज्यकारी बनाया जाना है विद्यालय कार्यकारी उपराज्यकारी विधिक अन्याई का बदल विधालय किया गया है ।

क्रम सं०	घोषित अन्याई का नाम एवं वार्ष	अनुमति वर्ग / वर्गी	पदनाम एवं विवर	घोषित विधालय का नाम
१	श्री सतीष कुमार पुत्र श्री लालजी सिंह ग्राम- चौहान का पुत्र गो०-महांगाइमा जिला - इलाहाबाद	०२०८४१६६	प्रकल्प/ सामाजिक वर्गी १	जन सहयोगी उपटर बालेज दूधारा-गो-ओरेया ।

कृपया उक्त विधालय के अनुसार अन्याई श्री सतीष कुमार प्रति विधिक कार्यकारी उपराज्यकारी विधालय के अनुसार विधालय का अन्याई उपराज्यकारी बनाया जायेगा । अन्याई उपराज्यकारी विधालय के अनुसार अन्याई का अन्यस्वामी प्रमाण पत्र शीर्षिक एवं प्रतिक्रिया अनिवार्य हो जाएगी ताकि उपराज्यकारी विधालय के अनुसार अन्याई को कार्यकारी पदहूँ बनाया जा सके । यदि उस पद के प्रति गो० न्यायालय ने कोई प्रकल्प विधालयीन हो तो उपराज्यकारी अन्याई सुनिश्चित किया जाय तथा सम्बन्धित पद के प्रति पुर्व से यदि नहीं तद्वारा विधालय कार्यालय हो तो उपराज्यकारी अन्याई के कार्यालय दूधारा-गो-ओरेया । उपराज्यकारी अन्याई के कार्यालय दूधारा-गो-ओरेया विधालय का अनुसार अन्याई को अनुसार अन्याई की जाय सम्बन्धित बोर्ड/यूनीफिसिटी से शिक्षा नियंत्रक(गो०)३०२० लालजी के पद-नाम/विद्यालय/४८८७-१२८८८/२०१६-१७ दिनांक ९ अगस्त २०१६ के क्रम में कारीगरी जा रही है गलामनालालजी ही विधालय का भूगत्तन की अनुमति ही जायेगी ।

कार्यकारी पदहूँ बनाने के उपराज्यकारी नेतृत्व सुनाहन की अनुसारत तिरु समवित्त अन्याई की अधिक एवं प्रतिक्रिया अन्याई की अनुसार अन्याई की अधिक एवं प्रतिक्रिया अनिवार्य हो जायेगी । यदि उपराज्यकारी अन्याई की अधिक एवं प्रतिक्रिया अनिवार्य हो जायेगी तो उपराज्यकारी अन्याई की अधिक एवं प्रतिक्रिया अनिवार्य हो जायेगी ।

पृ०३० /माझी०गो००००/ ५७०-०६ / २०१६-१७ दिनांक-वर्गी ।

प्रतिलिपि-अधीलिपिता की रोका में सुनानार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु -
१-संधिय ३०२० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड इलाहाबाद ।

२-संयुक्त शिक्षा नियंत्रक कानपुर मण्डल कानपुर ।

३-वित्त एवं लेखालिकारी जायालय जिला विधालय निरीक्षक औरेया ।

४-प्रभानामार्थ जन सहयोगी उपटर बालेज दूधारा-गो-ओरेया ।

५-सुनिश्चित अन्याई श्री सतीष कुमार पुत्र श्री लालजी सिंह ग्राम-चौहान का पुत्र गो०-महांगाइमा जिला - इलाहाबाद ।

विधालय विधालय निरीक्षक
अधीक्षक